


# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान..... अशफाक ..... बनाम ..... आमना

किरम मुकदमा ..... धारा - 225 ..... अपील संख्या ..... 183/2011 (2011/00032)

अभिभाषक अपीलान्त ..... श्री. जैरकार ..... अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ..... प्रदीप शर्मा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
7.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 42/2011/प्रार्थना पत्र बउनवान आमना बनाम अशफाक वगैरह निर्णय दिनांक 23.05.2011 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गयी है।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा रेकार्ड तलब किया गया। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (रिकार्ड) क्लेक्टेड बारां के पत्रांक 31 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा सहवन से इस प्रकरण के मूल दावे की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई। मूल दावे से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि इस अपील से संबंधित मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2013 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है।</p> <p>अतः इस न्यायालय में जैरकार अपील संख्या 183/2011 (2011/00032) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मूल दावे का निस्तारण दिनांक 25.04.2013 को हो जाने के कारण इस अपील को कोई औचित्य नहीं रह जाता है।</p> <p>अतः यह अपील निष्प्रभावी होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(दीपक रामचन्द्र मीना)</b>                      भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन                      राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा                 </p>	